मॉड्यूल 4: किशोर न्याय बोर्ड

सत्र 4: आगे बढ़ना – कमियों को दूर करना

अवधि: 2:34 मिनट

सत्र 4: आगे बढ़ना – कमियों को दूर करना

मॉड्यूल 4 के सत्र 4 में आप सभी का स्वागत है।

इस सत्र में हम बच्चों के अधिकारों को पूरा करने वाली विभिन्न योजनाओं तथा अभिनव प्रयासों के संबंध में चर्चा करेंगे। इस सत्र के बाद आप बच्चों के विभिन्न अधिकारों को पूरा करने वाली विभिन्न योजनाओं तथा अभिनव प्रयासों की सूची बना पाएंगे।

बच्चों के लिए योजनाएं

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 बच्चों से संबंधित व्यापक मुद्दों को आच्छादित करता है तथा अन्य कानूनों के साथ अर्न्तसंबध भी बनाता है। यह आवश्यक है कि हम जानें कि ऐसे अनेकों योजनाएं और कार्यक्रम हैं जिनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर वर्ग के बच्चों के अधिकार का हनन, विभिन्न स्तरों (पंचायत, ब्लॉक और जिला) पर न हो तथा किशोर न्याय अधिनियम का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो सके।

बाल संरक्षण सेवाएं (पूर्ववर्ती समेकित बाल संरक्षण योजना) सबसे महत्वपूर्ण योजना है, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी और यही वह मुख्य योजना है जिसके माध्यम से किशोर न्याय अधिनियम 2015 के क्रियान्वयन के लिए संस्थान/व्यवस्था तंत्र तथा इसके साथ ही साथ बाल संरक्षण की पहल के लिए तंत्र जैसे– जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड लाईन, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड आदि स्थापित किए गए हैं।

बच्चों के अधिकारों के लिए अन्य योजनाएं

ऐसी अनेक संबंधित योजनाएं हैं जो बच्चों के अधिकारों के हनन की रोकथाम करती हैं। स्क्रीन पर योजनाओं की सूची देखें।